शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र. / रा.शि.के. / आईईडी / 2011–12 / 1082 — भोपाल, दिनांक 30.1.12

प्रति,

जिला परियोजना समन्वयक,
जिला शिक्षा केन्द्र,
जिला—मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, रतलाम, शाजापुर,नीमच,उज्जैन, धार, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, सागर, छतरपुर, टीकमगढ,जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाडा, सिवनी, मंडला, बालाघाट ,रीवा ,शहडोल, सीधी, सतना, उमरिया, सिंगरौली (म.प्र)।

विषयः—सर्व शिक्षा अभियान समावेशित शिक्षा अंतर्गत नव नियुक्त मोबाइल स्रोत सलाहकार हेतु 7 दिवसीय मल्टीकेटेगरी प्रशिक्षण आयोजित कराने बावत्।

सन्दर्भः—इस कार्यालय का पत्र क./राशिके/आईईडी/2011/3420 भोपाल दिनांक 26.5.2011

विषयांर्तगत सर्वशिक्षा अभियान समावेशित शिक्षा अन्तर्गत जिले की आईईडी गतिविधियों हेतु जिन जिलों में स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन हो चुका है तथा संदर्भित पत्रानुसार उक्त जिलों में बजट भी उपलब्ध है, तदनुसार चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा नव नियुक्त मोबाइल स्रोत सलाहकारों का 7 दिवसीय मल्टीकेटेगरी प्रशिक्षण संलग्न समय—सारणी, नार्म्स के अनुसार आयोजित किया जाना है।

अतः संदर्भित पत्र की गतिविधि क. 10 (Multicategory training for MRCs -7 days) के अनुसार जिले में उपलब्ध राशि रू 500 प्रति सहभागी में से जिला स्तर पर प्रशिक्षण होने के कारण जिला स्तर हेतु निर्धारित नार्म्स अनुसार रू 200 प्रति सहभागी प्रतिदिवस के मान से राशि को स्वयं सेवी संस्था को उपलब्ध कराते हुए व्यय आईईडी मद में बुक करें।

प्रशिक्षण में निम्नलिखित निर्देशों का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए –

1 यह प्रशिक्षण 29 फरवरी 2012 तक अनिवार्यतः संपन्न किया जाए। प्रशिक्षण 7 दिवसीय वालेन्टियर प्रशिक्षण की तिथियों से भिन्न तिथियों में आयोजित किया जाए।
2 प्रशिक्षण में उपस्थित नव नियुक्त मोबाइल स्रोत सलाहकारों की उपस्थिति, सामग्री वितरण, भोजन—आवास (नगद अथवा भोजन— आवास व्यवस्था) आदि का रिकार्ड संबंधित स्वयं सेवी संस्था द्वारा संधारित किया जाए।
3 प्रशिक्षण की मानीटरिंग संबंधित डाइट/डीआरसी के पीजीपीडी प्रशिक्षित व्याख्याता (शिक्षक)/डाइट के आईईडी प्रभारी, एपीसी समावेशित शिक्षा/एपीसी मोबलाइजेशन द्वारा अनिवार्यतः कराई जाए ताकि प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण एवं विधिवत् सम्पन्न हो सके।
4 इस प्रशिक्षण में डाइट के पीजीपीडी प्रशिक्षित व्याख्याता (शिक्षक), दक्ष एवं पूर्व में औरंगाबाद (महाराष्ट्र) से प्रशिक्षित एमआरसी, आरसीआई में पंजीकृत अन्य स्रोत व्यक्तियों, स्वयं सेवी संस्थाओं के विशेषज्ञों तथा सर्व शिक्षा अभियान की समस्त गतिविधियों बावत जिला शिक्षा केन्द्र के अकादमिक अमले आदि को MHRD guideline एवं सुविधानुसार प्रशिक्षकों के रूप में लिया जा सकता है।
5 संलग्न सुझावात्मक समय—सारणी के अनुसार प्रशिक्षण आयोजित कराया जाए।
6 प्रशिक्षण के पूर्व प्री टेस्ट तथा प्रशिक्षण पश्चात् पोस्ट टेस्ट आयोजित कर प्रशिक्षणार्थियों की उपलब्धि का विश्लेषण किया जाए ।

7 प्रशिक्षण में एक ओपन सत्र रखा जाए जिसमें मोबाइल स्रोत सलाहकारों के अनुभवों को भी सुना जाए तदनुसार उनकी समस्याओं का निवारण किया जाए।

8 उक्त प्रशिक्षण के आयोजन के पश्चात् प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र को हार्ड एवं साफ्ट कॉपी मे दो प्रतियों में तैयार कर एक प्रति जिला शिक्षा केन्द्र तथा एक प्रति राज्य शिक्षा केन्द्र के आईईडी कक्ष में अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जाए। प्रतिवेदन निम्नलिखित बिन्दुओं पर बनाया जाए– प्रस्तावना, प्रशिक्षण के उद्देश्य, प्रशिक्षण की समय–सारणी, लक्ष्य एवं उपलब्धि, प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थियों का विवरण, प्रशिक्षण कार्यक्रम के फोटोग्राफ, समाचार पत्रों की कटिंग, सक्सेस स्टोरी, भ्रमण कार्यक्रम विवरण , स्वयं सेवी संस्था का विशेष प्रयास/सहयोग,मदवार व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार समय–सारणी एवं नार्म्स।

27.1.12

(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

पृ.क./रा.शि.के./आईईडी/2011–12/1083 भोपाल दिनांक 30.1.12

प्रतिलिपिः–

1 प्राचार्य डाइट/डीआरसी संबंधित जिला (म.प्र.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

2 अध्यक्ष/सचिव संबंधित स्वयं सेवी संस्था को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

3 सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाइट www.sss.mp.gov.in/circulars.htm/ एवं एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

राज्य शिक्षा केन्द्र ,भोपाल
समय –सारणी (मोबाइल स्रोत सलाहकार प्रशिक्षण)
समय–प्रातः 10 से सांय 5 बजे तक

दिवस	कालखण्ड				
	प्रथम	द्वितीय	लंच	तृतीय	चतुर्थ
पहला दिवस	परिचय,प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं प्री टेस्ट	समावेशित शिक्षा एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम		सर्वशिक्षा अभियान की विभिन्न गतिविधियां	जाब चार्ट अनुसार मोबाइल स्रोत सलाहकारों के कार्य एवं उद्देश्य
दूसरा दिवस	CWSN की शीध्र पहचान एवं शीध्र हस्तक्षेप,आकलन	CWSN हेतु कक्षा प्रबंध एवं शिक्षण तकनीक (प्रचलित पाठ्य पुस्तकों को शामिल कर)		निःशक्तता के कारण एवं उसे रोकने के उपाय	निःशक्ततावार आईईपी निर्माण एवं उपयोग
तीसरा दिवस	दृष्टिबाधिता पूर्ण विवरण एवं समावेशन	श्रवणबाधिता पूर्ण विवरण एवं समावेशन		सेरेब्रलपाल्सी पूर्ण विवरण एवं समावेशन	मानसिक मंदता पूर्ण विवरण एवं समावेशन
चौथा दिवस	अधिगम विकलांगता	बहु विकलांगता एवं आटिज्म		समस्या समाधान एवं व्यवहार प्रबंधन तकनीक	CWSN खेल एवं पाठ्य सहगामी कियाएँ
पांचवां दिवस	निःशक्ततावार टीएलएम निर्माण एवं उपयोग	CWSN मूल्यांकन तकनीक (भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार)		MRC जॉब चार्ट एवं मासिक रिपोर्टिंग	सक्सेस स्टोरी
छटवां दिवस	भ्रमण कार्यक्रम	भ्रमण कार्यक्रम		बाधारहित वातावरण एवं संसाधन कक्ष का उपयोग	वालेन्टियर का उन्मुखीकरण एवं मानीटरिंग कैसे करें ?
सातवां	विभिन्न अधिनियम (निःशक्तता संबंधी)	अभिभावक अभिप्रेरणा, सहयोग एवं परामर्श		ओपन सत्र	पोस्ट टेस्ट एवं समापन

नोट– समय सारणी मे उल्लेखित गतिविधियों के अतिरिक्त जिले की आवश्यकतानुसार स्वयं सेवी संस्था अपने संसाधनों से अन्य गतिविधियां भी आयोजित कर सकती हैं।

मोबाइल स्रोत सलाहकारों का 7 दिवसीय प्रशिक्षण (2011–12) (10 मोबाइल स्रोत सलाहकार प्रति बैच) हेतु नार्म्स–

क.	मद	दर राशि रू	संख्या	प्रावधानित राशि रु.
1	स्टेशनरी	25	10	250
2	भोजन एवं आवास	100	10	7000 (100X10 मोबाइल स्रोत सलाहकारX7दिवस)
3	कंटिजेंसी	1150	–	1150
4	स्रोत शिक्षक मानदेय	100	–	2800 (100X4कालखंडX7दिवस)
5	भ्रमण	2800	–	2800 (अधिकतम)
योग–				14,000/-

उपरोक्तानुसार 10 मोबाइल स्रोत सलाहकारों के एक बैच हेतु कुल व्यय राशि रु. 14,000/– है परन्तु जिले मे नियुक्त मोबाइल स्रोत सलाहकारों की वास्तविक संख्यानुसार इकाई लागत @ रू 200 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिवस के मान से व्यय किया जा सकता है ।

<u>आयुक्त द्वारा अनुमोदित।</u>

अपर संचालक(अकादमिक)
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल